राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 203/ 2014 जिला : जयपुर
मैसर्स ओकाया पॉवर f लेमिटैड,जयपुर बनाम वा.क.अ.,प्रतिकरापवंचन जोन,प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जंज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.2014	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री विक्रम गोगरा,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी''कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील सय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन संभाग–प्रथम,जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25,55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.12.2013 निर्धारण वर्ष 2010–11के सम्बन्ध में कायम की गयी मांग राशि रू. 20,93,064/– में से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू 12,34,846/– का स्थगन प्रदान करते हुए शेष कर रू. 6,17,423/–एवं ब्याज रू. 2,40,795/– की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए कर रू. 6,17,423/–एवं ब्याज रू. 2,40,795/– की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रय की वस्तु का वर्गीकरण औद्योगिक एवं व्यापारिक जगत में प्रचलित धारण के विपरीत किया जाकर कर,ब्याज एवं शास्ति अविधिक रूप से आरोपित की गई है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश पारित करने में माइण्ड अप्लाई नहीं किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किया गया उत्पाद मोबाईल फोन एवं बैट्रीज पूर्णतः मोबाईल फोन काअभिन्न अंग है,जिसका उपयोग अन्यत्र नहीं किया जा सकता है । अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपने तर्को में कथन किया गया है कि विवादित वस्तुओं मोबाईल फोन, मोबाईल फोन ऐसेसरीज व बैट्री की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से बिक्री की गई है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वस्तुओं की बिक्री को 14 प्रतिशत से कर योग्य माना गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति पर स्थगन दिया, परन्तु बिना कोई कारण अंकित किये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज पर स्थगन प्रदान नहीं किया है । अतः सुविधा सन्तुलन अपीलीार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया बनता है। अतः उन्होंने कर रू. 6,17,423/–एवं ब्याज रू. 2,40,795/–(स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 7,96,476) को स्थगित करने का निवेदन किया। राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 485/2011/जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–जे,जयपुर बनाम मैसर्स मैराथन इण्डिया लिमिटेड, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 28.3.2012 को प्रोद्धरित करते हुए कथन किया कि समान बिन्दुओं पर विवादित वस्तु	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 203/2014 जिला : जयपुर
मैसर्स ओकाया पॉवर लिमिटैड,जयपुर बनाम वा.क.अ.,प्रतिकरापवंचन जोन,प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.2014	''बैंटरी'' पर कर दर 12.5प्रतिशत निर्धारित की गई है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारीद्वारा स्थगन हेतु आवेदित कर एवं ब्याज रू. 7,96,476/—को स्थगित नहीं करने का निवेदन किया। उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे ज्ञात होता है कि प्रकरण मे विवादित मोबाईल फोन व बैट्री **की, कर की दर का विवाद अपील में अंतर्ग्रस्त involve) है।** उप राजकीय अभिभाषक **द्वारा प्रोद्धरित कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा** अपील संख्या 485/2011/जयपुर, वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–जे,जयपुर बनाम मैसर्स मैराथन इण्डिया लिमिटेड, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 28.3.2012 के आलोक में स्थगन पत्र पर सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अतः अपीलार्थी द्वारा आवेदित कर एवं ब्याज स्थगन सम्बन्धी निवेदन को अस्वीकार करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। इस आदेश में वर्णित कोई टिप्पणी लम्बित अपील के गुणावगुण को प्रभावित नहीं करेगी। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है । निर्णय सुनाया गया । (अमर सिंह) 25-2-14 सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	